



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092021-229478
CG-DL-E-07092021-229478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021
सं. 23/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.107 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/63/एएम-21/पीसी-2(ख)/ई-27749.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा भारत-मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित अधिसूचना सं. 25/2021 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 की तालिका 4 के अनुसार टीआरक्यू के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के आयात हेतु परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक III के रूप में प्रक्रिया निर्धारित करने के अलावा भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.107 को संशोधित करते हैं:

विवरण	एचएस सं.	विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कोटा दर (%) में/बाहर	इन-कोटा टैरिफ दर	अधिसूचना	टैरिफ दर कोटा मात्रा
भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत टीआरक्यू के तहत निम्नलिखित मदों की अनुमति है #					
ताजा:-अन्य	06031900	-	30%	सं. 25/2021	15 टन

अनानास	08043000	-	10%	सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021	1000 टन
लीची	08109060	-	10%		250 टन
वनिला: न तो क्रश किया हुआ न ही पिसा हुआ	09051000	-	10%		15 टन
वनिला: क्रश किया हुआ या पिसा हुआ	09052000	-	10%		1 टन
ट्यूना	16041410	-	0%		7000 टन
अन्य	16041490	-	0%		7000 टन
अन्य तैयार या संरक्षित मछली	16042000	-	0%		7000 टन
अन्य (विनिर्दिष्ट चीनी)	17011490	-	10%		15000 टन
जौ से निर्मित बीयर	22030000	-	25%		2,000,000 लीटर
फ्रूट वाइन: अन्य फर्मेन्टेड पेय (उदाहरणतः साइडर, पैरी, मीड, सेक) फर्मेन्टेड पेय का मिश्रण और फर्मेन्टेड पेय और नॉन अल्कोहलिक देय का मिश्रण, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है।	22060000	-	0%		5000 लीटर
2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : रम	22084011	-	0%	सं. 25/2021 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021	1.50 मिलियन लीटर
2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : अन्य	22084012	-	0%		1.50 मिलियन लीटर
अन्यरम	22084091	-	0%		1.50 मिलियन लीटर
अन्यअन्य	22084092	-	0%		1.50 मिलियन लीटर
परिधान की वस्तुएं एवं वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 6203; 6304;	-	-	उपरोक्त अधिसूचना की तालिका 3 के अनुसार एचएस कोड का विवरण	7.5 मिलियन नग \$

आयात की अनुमति परिशिष्ट-2क के अनुलग्नक III में दी गई व्यवस्थाओं/प्रक्रियाओं के अधीन होगी।

\$ 7.5 मिलियन नगों के कुल कोटा में से ऐसे सभी मदों के कुल जोड़ के न्यूनतम 5 मिलियन नग, भारत से प्राप्त धागों/फैब्रिक से विनिर्मित हैं।

2. परिशिष्ट-2क का अनुलग्नक III यथा-संलग्न है।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: भारत-मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित अधिसूचना सं. 25/2021-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 की तालिका 4 में यथा उल्लिखित मदों हेतु टीआरक्यू और ऐसे आयात हेतु प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट 2क का अनुलग्नक-III

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत मदों का आयात

(i) मदों की कुल मात्रा जिनका भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत आयात किया जा सकता है, निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	टैरिफ दर कोटा मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06031900	ताजा:-अन्य	15 टन
2.	08043000	अनानास	1000 टन
3.	08109060	लीची	250 टन
4.	09051000	वनिला: न तो क्रश किया हुआ न ही पिसा हुआ	15 टन
5.	09052000	वनिला: क्रश किया हुआ या पिसा हुआ	1 टन
6.	16041410	ट्यूना	7000 टन
7.	16041490	अन्य	7000 टन
8.	16042000	अन्य तैयार या संरक्षित मछली	7000 टन
9.	17011490	विशिष्ट चीनी	15000 टन
10.	22030000	जौ से निर्मित बीयर	2,000,000 लीटर
11.	22060000	फ्रूट वाइन: अन्य फर्मेन्टड पेय (उदाहरणतः साइडर, पैरी, मीड, सैक); फर्मेन्टड पेय का मिश्रण और फर्मेन्टड पेय मिश्रण और नॉन अल्कोहलिक पेय, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल नहीं है।	5000 लीटर
12.	22084011	2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : रम	1.50 मिलियन लीटर
13.	22084012	2 लीटर या इससे कम के कंटेनरों में : अन्य	1.50 मिलियन लीटर
14.	22084091	अन्यरम	1.50 मिलियन लीटर
15.	22084092	अन्यअन्य	1.50 मिलियन लीटर
16.	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109;6110; 6111; 6112 and 6203; 6304;	परिधान की वस्तुएं एवं वस्त्र संबंधी सहायक सामग्री*	7.5 मिलियन नग **

*सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना की तालिका-3 में उपर यथा उल्लिखित एचएस कोडस का विवरण

****7.5** मिलियन नगों के कुल कोटा में से ऐसे सभी मदों के कुल जोड़ के न्यूनतम 5 मिलियन नग भारत से प्राप्त धागों/फैब्रिक से विनिर्मित होने चाहिए।

ii. इन आयातों को निम्नलिखित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन अनुमत किया जाएगा:—

- क. आयात भारत-मॉरीशस सीईसीपीए से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 25/2021 सीमा-शुल्क दिनांक 31 मार्च, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- ख. सभी आवेदनों के साथ मॉरीशस में विनिर्दिष्ट मदों के किसी एक पात्र निर्यातक के साथ किए गए पूर्व-खरीद समझौता संलग्न होना चाहिए। पूर्व-खरीद समझौते में मात्रा और संविदा को पूरा करने की समयवधि इंगित होनी चाहिए। मॉरीशस से निर्यात करने वाली पात्र इकाईयों की सूची को मॉरीशस सरकार द्वारा तय किया जाएगा।
- ग. आयात खेप की निकासी के समय भारत में आयातक को मॉरीशस के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी एक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- घ. इन आयातों के मामले में वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात् भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होगा।
- ड. आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु सभी आवेदनों को नीचे दिए गए निर्धारित प्रपत्र में केवल ई-मेल import-dgft@nic.in के माध्यम से भेजे जाएंगे।

क्र. सं.	आवेदक का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता	आईईसी सं.	आयात की जाने वाली वस्तु	आईटीसी (एचएस) कोड	आवेदित मात्रा (मि.टन)	सीआईएफ मूल्य (रु.) और शुल्क	आवेदन जमा करने की तिथि	टीआरक्यू के पंजीकरण का पत्तन
----------	---	-----------	-------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------

- च. आवंटन पात्र आवेदकों के बीच समान रूप से आवेदित मात्रा के अधीन किया जाएगा। आवेदन को अपेक्षित शुल्क के साथ एएनएफ 2ड और एएनएफ 1 में ऑनलाइन रूप से भरा जाना आवश्यक है। अगले वित्तीय वर्ष में आवंटन हेतु आवेदन को वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी तक भेजा जाना चाहिए।
- छ. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक निर्यातक कोड (आईईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना सं. यथा लागू प्रशुल्क मद, मात्रा और प्रमाण पत्र की वैधता अवधि इंगित होगी।
- ज. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा।
- झ. टीआरक्यू के लिए गए आयात को केवल आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट किए जाने पर अनुमत किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th September, 2021

No. 23/2015-2020

F. No. 01/93/180/63/AM-21/PC-2(B)/e-27749.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Directorate General of Foreign Trade hereby revises Para 2.107 of Handbook of Procedure to incorporate the following items under the Tariff Rate Quota (TRQ) under India-Mauritius CECPA, besides laying down the procedure for import of the following items under TRQ as Annexure III to Appendix 2A in accordance with Table 4 of Notification No. 25/2021-Customs dated the 31st March, 2021 on India-Mauritius CECPA:

Description	HS No.	In/out of quota rate (%) as per WTO	In-quota Tariff rate	Notification	Tariff Rate Quota Quantity
The following items are permitted under the TRQ under India-Mauritius CECPA#					
Fresh : -- Other	06031900	-	30%	No. 25/2021- Customs dated 31 st March, 2021	15 tons
Pineapples	08043000	-	10%		1000 tons
Lichi	08109060	-	10%		250 tons
Vanilla : Neither crushed nor ground	09051000	-	10%		15 tons
Vanilla : Crushed or ground	09052000	-	10%		1 ton
Tunas	16041410	-	0%		7000 tons
Other	16041490	-	0%		7000 tons
Other prepared or preserved fish	16042000	-	0%		7000 tons
Other (Specialty Sugar)	17011490	-	10%		15000 tons
Beer made from malt.	22030000	-	25%		2,000,000 litres
Fruit Wine: Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	22060000	-	0%	5000 litres	
In containers holding 2 l or less: ----Rum	22084011	-	0%	No. 25/2021- Customs dated 31 st March, 2021	1.50 million litres
In containers holding 2 l or less: ----Other	22084012	-	0%		1.50 million litres
Other: ---- Rum	22084091	-	0%		1.50 million litres
Other: ---- other	22084092	-	0%		1.50 million litres
Articles of Apparel and Clothing Accessories.	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 6203; 6304;	-	-	Details of the HS Codes as in Table 3 of the above Notification	7.5 million pieces\$
#Imports will be permitted subject to the arrangements /Procedure as laid down in Annexure-III of Appendix-2A.					

\$ Out of total quota of 7.5 million pieces, at least 5 million pieces of aggregate of all such items have been manufactured from yarn/fabric sourced from India.

2. Annexure III of Appedix -2A is as annexed.

3. Effect of this Public Notice: TRQ for items as in Table 4 of Notification No. 25/2021-Customs dated the 31st March, 2021 on India-Mauritius CECPA and procedure for such imports is notified

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Annexure-III to Appendix-2A

Imports of Items under the TRQ of the India- Mauritius CECPA

(i) The total quantum of items that can be imported under India- Mauritius CECPA shall be as follows.

S. No.	ITC(HS) Code	Description	Tariff Rate Quota Quantity
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06031900	Fresh : -- Other	15 tons
2.	08043000	Pineapples	1000 tons
3.	08109060	Lichi	250 tons
4.	09051000	Vanilla : Neither crushed nor ground	15 tons
5.	09052000	Vanilla : Crushed or ground	1 ton
6.	16041410	Tunas	7000 tons
7.	16041490	Other	7000 tons
8.	16042000	Other prepared or preserved fish	7000 tons
9.	17011490	Specialty Sugar	15000 tons
10.	22030000	Beer made from malt.	2,000,000 litres
11.	22060000	Fruit Wine: Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.	5000 litres
12.	22084011	In containers holding 2 l or less: ---- Rum	1.50 million litres
13.	22084012	In containers holding 2 l or less: ---- Other	1.50 million litres
14.	22084091	Other: ---- Rum	1.50 million litres
15.	22084092	Other: ---- other	1.50 million litres
16.	6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6109; 6110; 6111; 6112 and 6203; 6304;	Articles of Apparel and Clothing Accessories.*	7.5 million pieces**

*Details of the HS Codes as in Table 3 of the Customs Notification mentioned above.

** Out of total quota of 7.5 million pieces, at least 5 million pieces of aggregate of all such items should have been manufactured from yarn/fabric sourced from India.

- ii. These imports will be permitted subject to the following arrangements/ procedure:-
- Import would be subject to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 25/2021-Customs dated the 31st March, 2021 (as amended from time to time) relating to India-Mauritius CECPA.
 - All applications must accompany a pre-purchase agreement from one of the eligible exporters of specified items in Mauritius. The pre-purchase agreement must indicate the quantity and the duration of fulfillment of the contract. The list of eligible exporting entities of the item from Mauritius shall be decided by the Government of Mauritius.
 - At the time of clearance of the import consignment, the importer in India must produce a Certificate of Origin issued by concerned authorities in Mauritius.
 - The year in respect of these imports will be the period from 1st April to 31st March, i.e. financial year in India.
 - All applications for grant of import authorization shall be sent only through e-mail at import-dgft@nic.in in the prescribed format as given below:

Sl. No.	Name and Registered office address of the applicant	IEC No.	Item sought to be imported	ITC (HS) Code	Qty. applied for (MTs)	CIF value (Rs.) & Fee	Date of submission of the application	Port of Registration of TRQ.
---------	---	---------	----------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------------	------------------------------

Allocation will be made equally among the eligible applicant subject to quantity applied. The application in ANF 2M and ANF1 along with the requisite fee is required to be filed online. The application should be sent by 28th February of the financial year, for allocation in the next financial year.

- The TRQ authorisation shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the certificate.
- The TRQ authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES).
- Imports made against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.